शब्द–ब्रह्म
ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
17 जनवरी 2015
पीअर रीव्यूड रिसर्च जर्नल

खाप पंचायत की प्रासंगिकता एवं महिलाओं के अधिकार

*डॉ.नरेन्द्र नागर **विरेन्द्र कुमार (शोधार्थी)
*पीडीएफ, आईसीसीएसआर, राजनीतिशास्त्र
सी.सी.एस. विश्वविद्यालय
मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत

शोध संक्षेप

प्रस्तुत शोध पत्र में उत्तर भारत के कुछ भागों में समाज पर अंकुश रखने वाले सामाजिक संगठन की प्रासंगिकता पर विचार किया गया है। इस सामाजिक संगठन को खाप पंचायत के नाम से जाना जाता है। विगत दिनों यह संगठन अपने फैसलों के कारण काफी चर्चा में रहा। इन संगठनों ने समाज पर न् सिर्फ अपना अंकुश रखा, बल्कि उसमें सुधार भी किया। कालांतर में इस संगठन की बागडोर ढीली होने के परिणामस्वरूप इसकी अनेकानेक कमियां देश और समाज के सामने उजागर हुई। तब से पूरे देश में इसकी उपयोगिता पर चर्चा हो रही है। शोध पत्र में इसी प्रश्न का विश्लेषण किया गया है।

प्रस्तावना

खाप या सर्वखाप एक सामाजिक प्रशासन की पद्धति है, जो भारत मे उत्तर पश्चिमी प्रदेशों यथा राजस्थान, हरियाणा, पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में अति प्राचीन काल से प्रचलित है। इसके अनुरूप अन्य प्रचलित संस्थायें है जैसे पाल, गण, गणसंघ, सभा, समिति, जनपद अथवा गणतन्त्र।

समाज में सामाजिक व्यवस्थाओं को बनाये रखने के लिए, मनमर्जी से काम करने वालों अथवा असामाजिक कार्य करने वालों को नियन्त्रित किये जाने की आवश्यकता होती है, यदि ऐसा न किया जाये तो स्थापित मान्यतायें विश्वास, परम्पराएं और मर्यादाएं खत्म हो जायेंगीं, और जंगलराज स्थापित हो जायेगा। मनु ने समाज पर नियन्त्रण करने के लिए एक व्यवस्था दी थी। इस व्यवस्था में परिवार के मुखिया को सर्वोच्च न्यायधीश के रूप मे स्वीकार किया गया है। जिसकी सहायता से प्रबुद्ध व्यक्तियों की एक पंचायत बनी। जाट समाज में यह व्यवस्था आज भी प्रचलन में है, इसी आधार पर बाद में ग्राम पंचायत का जन्म हुआ।

जब कोई समस्या जन्म लेती है तो सर्वप्रथम सम्बन्धित परिवार ही उस समस्या को सुलझाने का प्रयास करता है। यदि परिवार के मुखिया का फैसला नहीं माना जाता है, तो इस समस्या को समुदाय और ग्राम समाज की पंचायत में लाया जाता है। दोषी व्यक्ति द्वारा पंचायत का फैसला नहीं मानने पर, ग्राम पंचायत उसका हुक्का-पानी बंद करने, गांव समाज से निकला करने, लेन-देन पर रोक लगाने आदि का हुक्म करती है। यदि समस्या किसी गोत्र विशेष से जुड़ी हो तो गोत्र पंचायत होती है, जिसके माध्यम से दोषी को घेरा जाता है।

खाप पंचायतें पारस्परिक पंचायतें हैं एक गांत्र या किसी बिरादरी विशेष सभी गोत्र मिलाकर खाप पंचायत बनाते हैं। एक मानक क्षेत्र (गवाहंड) में कई गांव होते हैं और इन्ही गांवों को मिलाकर एक खाप बनती है। हर खाप के गांव निश्चित होते हैं। विभिन्न खापों को मिलाकर एक सर्वखाप पंचायत बनती है। मौजूदा समय में खासकर जाट समाज में अपनी ताकत और हैसियत का एहसास कराने के लिऐ इन खाप पंचायतों का इस्तेमाल किया जाता है।

शब्द–ब्रह्म
ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
17 जनवरी 2015
पीअर रीव्यूड रिसर्च जर्नल

सर्वखाप

सर्वखाप में वे सभी खापें आती हैं जो अस्तित्व में हैं। समाज, देश और जाति पर महान संकट आने पर विभिन्न खापों के बुद्धिजीवी लोग सर्वखाप पंचायत का आह्वान करते हैं। निःसन्देह पाल और खाप में भेद करना काफी कठिन है। साधारण शब्दों में कहा जा सकता है कि पाल छोटा संगठन है, जबकि खाप में कई छोटी पालें सम्मिलित हो सकती हैं। खाप और पाल पर्यायवाची माने जाएं तो अधिक तर्कसंगत होगा। एक ही गोत्र का संगठन पाल हो सकता है जबकि खाप में कई गोत्रीय संगठन और कई जातियां शामिल होती हैं। ऐसा भी देखने में आया है कि कुछ गोत्र और कई खाप में शामिल होते हैं। जाट संगठन पूर्णतः स्वतंत्र अस्तित्व वाले हाते हैं तथा लोगों की इच्छानुरूप इनका आकार घटता-बढ़ता है। चूँकि ये संगठन न्याय प्राप्त करने और अन्याय के विरूद्ध संघर्ष करने के लिए लोगों को एकजुट करते हैं, अतः यहां जिसे, जिस गोत्र, गांव, पाल में अधिक विश्वास होता है वे वहीं सम्मिलित हो सकते हैं। सदस्यता ग्रहण करने पर कोई रोक-टोक नहीं है।

सर्वखाप पंचायत

सर्वखाप पंचायत जाट जाति की सर्वोच्च पंचायत व्यवस्था है। इसमें ज्ञात पाल और खापें भाग लेती हैं। जब जाति, समाज, राष्ट्र अथवा जातिगत संस्कारों, परम्पराओं का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है अथवा किसी समस्या का समाधान किसी अन्य संगठन द्वारा नहीं होता तब सर्वखाप पंचायत का आयोजन किया जाता है, जिसके फैसलों को मानना और दिशा निर्देशानुसार कार्य करना जरूरी होता है। सर्वखाप व्यवस्था उतनी ही पुरानी है जितने की स्वयं जाट जाति। समय-समय पर इसका आकार, कार्यशैली और आयोजन परिस्थितियां तो अवश्य बदलती रही हैं परन्तु इस व्यवस्था को मुस्लिम, अंग्रेज और लोकतान्त्रिक प्रणाली भी समाप्त नहीं कर सकीं।

राजनीतिक दलों की उदासीनता को क्या समझा जाये। प्रथम दृष्टया और गहन अध्ययन के उपरान्त यही कारण सामने आता है कि सब वोट बैंक की राजनीति है, राजनीतिक दलों को भय है कि वे खाप पंचायतों के समर्थन में खड़े होते हैं तो कहीं पीडित युवा वर्ग उनसे कन्नी ना काट ले और युवा वोट बैंक की हानि उनकी बहुत बड़ी हानि होगी जो उन्हें सत्ता से दूर करने में एक मुख्य कारण बन सकती है और शायद वे पुनः राजनीति में स्थापित होने में कामयाब ना हो सकें।

इसी तरह यदि वे खाप पंचायतों के विरोध में खडे होते हैं तो वे इस पूर्वाग्रह से ग्रस्त नजर आते हैं कि जिन पंचायतों का समाज पर इतना आधिपत्य है कि उनके निर्णय के समक्ष समाज को नतमस्तक होना पड़ता है तो खाप पंचायतों के विरोध का खामयाजा उन्हें सत्ता से बाहर कर सकता है और इसी सत्ता के लालच ने राजनीतिक दलों को इस महत्वपूर्ण और अहम सामाजिक मुद्दे पर उदासीन बनाया हुआ है। वे न तो समर्थन को तैयार हैं और न ही उनके विरोध को, वे अपने ऊपर बात आने पर मुद्दे को न्यायपालिका और कार्यपालिका के पाले में डालते नजर आते हैं। राजनीतिक दलों की राजनीति अब सत्ता की राजनीति नजर आती है वे सत्ता से बाहर होने के भय के कारण इतने संवेदनशील मुद्दे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं।

खाप पंचायत का महिलाओं के अधिकारों पर प्रभाव

खाप पंचायतों के बावजूद महिलाओं के विरूद्ध हिंसात्मक व्यवहार लगातार बढ़ता जा रहा है। बागपत व मुजफ्फरनगर दोनों क्षेत्रों में महिलाओं पर घरेलू हिंसा बलात्कार, शैक्षिक व सामाजिक, आर्थिक, अत्याचार, आनर किलिंग बढ़ता ही जा

शब्द–ब्रह्म
ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
17 जनवरी 2015
पीअर रीव्यूड रिसर्च जर्नल

रहा है। साथ ही साथ खाप पंचायतें इन क्षेत्रों में अपने नये-नये फरमान जारी कर रही है।

शिक्षा, सामाजिक असमानता और स्थिति, बेहतर स्वास्थ्य, आर्थिक अथवा वित्तीय सुदृढ़ता और राजनीतिक सहभागिता। भारत में महिलाओं की बड़ी संख्या, लगभग 56 प्रतिशत निरक्षर है, जबकि ऐसे पुरूष केवल 24 प्रतिशत ही हैं जो निरक्षर हैं। इसी से दोनों में असमानता का स्तर स्पष्ट हो जाता है। अगले पांच वर्षों की समय सीमा में महिला साक्षरता में उल्लेखनीय वृद्धि होनी चाहिए।

कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों के बारे में संबद्ध संगठन/विभाग से आग्रह किया जाता है कि वे उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार आंतरिक शिकायत समिति गठित करें। महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न की जो भी शिकायतें मिलती हैं उनमें अधिकांश घरेलू हिंसा, दहेज मांगने और उत्पीड़न, जुर्म, हत्या, बलात्कार एवं बंधक बनाने जैसी होती हैं। एनआरआई/एनआरआई विवाहों से संबंधित शिकायतें भी प्राप्त होती हैं जिनमें स्त्री त्याग, बहुविवाह, बलात्कार, पुलिस उपेक्षा, उत्पीड़न, निर्दयता और महिला अधिकारों से वंचित करना तथा लिंग के आधार पर भेदभाव और परेशान करने जैसी बातें शामिल हैं।

महिलाओं के विकास के लिहाज से भारत में प्रगति हुई हैं, परंतु यह उपलब्धियां सभी राज्यों में एक समान नहीं हैं। पूर्व में किए गए दो अध्ययनों यथा- राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी) की स्टेट जेंडर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2005 और केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की रिपोर्ट- जेंडरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिसेजः रिकास्टिंग द जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स एंड जेंडर एम्पावरमेंट फाॅर इण्डिया 2009 में यह बात स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। महिला सशक्तीकरण के अभाव का न केवल महिलाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ता है बल्कि उसका असर पूरे परिवार और समाज पर भी पड़ता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर मामलों में महिलाओं को उनके बच्चे निर्धारित करने का अधिकार नहीं रहता है। इस बारे में निर्णय उनके पति या परिवार वाले ही लेते हैं। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की ज्यादातर महिलाएं निरक्षर एवं अशिक्षित होती हैं इसलिए वे प्रशासनिक नियमों एवं राजनीतिक प्रक्रियाओं से अनभिज्ञ होती हैं।

अपने परिवारों के समर्थन, अभिप्रेरणा एवं सहयोग आदि में कमी भी महिलाओं को हतोत्साहित करते हैं। अधिकतर महिलाएं सामाजिक मान्यताएं, जनता से मेल-मिलाप पर प्रतिबंध, असुरक्षित एवं हिंसक वातावरण के कारण इन संस्थाओं को ओर आकर्षित नहीं हो पातीं।

देश के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए ग्रामीण महिला सशक्तीकरण अति आवश्यक है और इसी कारण देश के विकास के लिए ग्रामीण महिलाओं को मुख्यधारा में लाना सरकार की मुख्य चिंता रही है।

साहित्य अवलोकन

भारत डोगरा, फरवरी 2013, राष्ट्रीय सहारा, सम्पादकीय विश्लेषण के अनुसार, 'उमड़ते 100 करोड़ के अभियान' के अंतर्गत 14 फरवरी को दुनिया भर में तमाम जगहों पर रचनात्मक तरीके से महिला हिंसा के विरूद्ध आवाज उठाई जाएगी। महिलाओं के विरूद्ध हिंसा रोकने के विरूद्ध आवाज उठाई जाएगी। महिलाओं के विरूद्ध हिंसा रोकने के लिए समाज में जो व्यापक विमर्श इन दिनों चल रहा है, उसकी लंबे समय से जरूरत थी। पर इस विमर्श की एकपक्षीय पहलू यह रहा क इसमें ज्यादा जोर अपराधियों को कठोर सजा दिलवाने पर ही दिया गया हैं। इस कारण क्योंकि उम्मीद है कि कठोर सजा के गय में दरिदें ऐसे अपराध नहीं करने से हिचकेंगे। बहरहाल, मूल और अंतिम उद्देश्य इस अपराध की संभावना को कम करना है। अपराधी के लिए

शब्द–ब्रह्म
ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
17 जनवरी 2015
पीअर रीव्यूड रिसर्च जर्नल

कठोर सजा की व्यवस्था करना इस मूल उद्देश्य तक पहुंचने का एक रास्ता है। पर इसके अतिरिक्त भी महिला हिंसा को कम करने के अनेक महत्वपूर्ण उपाय है जिन पर हमें समुचित ध्यान देना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं के विरूद्ध हिंसा की प्रवृत्ति ही कम हो। यह प्रवृत्ति परंपरागत समाज में भी मौजूद है और आधुनिक समाज की गलतियां नजर आती हैं और आधुनिक सोचवालों को प्रायः परंपरागत समाज की ही गलतियां दिखती हैं। हकीकत यह है कि अनुचित प्रवृत्ति चाहे परंपरा की हो या आधुनिकता की, को दूर करना ही होगा। अतः महिलाओं के विरूद्ध हिंसा कम करने के प्रयास हर स्तर पर होने चाहिए।

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की सफलता प्रतिक्रिया, निराशा, सीमित सत्ता हस्तांतरण की बाधाएं, सीमित संसाधन, सांस्कृतिक पूर्वधारणाएं आदि चुनौतियों की मात्रा व गुणवत्ता विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य द्वारा निर्धारित होती हैं। साथ ही प्रत्येक राज्य में इन संस्थाओं की प्रकृति, प्रभावी सत्ता हस्तांतरण की सीमा, वित्तीय एवं मानवीय संसाधनों की उपलब्धता भी ग्रामीण महिलाओं की इन संस्थाओं में योग्यता व उपयोगिता में अंतर पैदा करते हैं। इसी कारण महिलाएं इन चुनौतियों का सामना करने के लिए समर्थकारी व्यवस्था की मांग करती हैं।

अपने परिवारों के समर्थन, अभिप्रेरणा एवं सहयोग आदि में कमी भी महिलाओं को हतोत्साहित करते हैं। अधिकतर महिलाएं सामाजिक मान्यताएं, जनता से मेल-मिलाप पर प्रतिबंध, असुरक्षित एवं हिंसक वातावरण के कारण इन संस्थाओं की ओर आकर्षित नहीं हो पातीं।

देश में आज महिलाएं घर-बाहर, गांवों तथा शहरों, महानगरों तथा कस्बों सभी जगह सुरक्षित हैं। विवाहित महिलाओं के पति, सास-ससुर, कामकाजी महिलाओं को कार्यस्थल पर नियोक्ताओं, शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों एवं सहपाठियों, गली एवं बाजार में गुंडों द्वारा हिंसा, उत्पीड़न, मारपीट, चीरहरण, छेड़खानी, यौन शोषण इत्यादि का सामना करना पड़ता है।

शोधकर्ताओं के एक समूह (जान और अन्य, 2008) ने 2003-05, पिछले दशक में इस प्रकार के प्रासंगिक विश्लेषण का एक उदाहरण यहां उद्धृत करना उपयुक्त होगा। शोधकर्ताओं के एक समूह (जान और अन्य, 2008) ने 2003-05 में भारत के पांच सबसे कम सीएसआर वाले जिलों में जो सर्वेक्षण किया, उससे स्पष्ट होता है कि इस लंबे-चैड़े क्षेत्र में जहां बाल लिंगानुपात में तेजी से गिरावट आई थी, स्थानीय प्रसंग कोई कम महत्वपूर्ण नहीं थे।

हिन्दुस्तान, 17 जनवरी 2012, बागपत जनपद में भी महिलाओं के साथ अपराध का ग्राफ दिन पर दिन चढ़ रहा हैं सरकारी आंकड़ों के मुताबिक यहां अपहरण व छेड़छाड के मामलों की संख्या पिछले साल की अपेक्षा दोगुनी हो गई है। जिले के शहरी क्षेत्र ही नहीं बल्कि गांवों और कस्बों में भी तीन साल में ये घटनाएं बढ़ी हैं।

योजना, जून 2012 जेंडर इक्वलिटी अर्थात स्त्री-पुरूष समानता का सिद्धांत हमारे संविधान में ही दिया हुआ है, जिसमें महिलाओं की समानता की गारंटी निहित है। इससे वर्षों से सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक भेदभाव झेल रही महिलाओं की समस्याओं को दूर कर उनके पक्ष में सार्थक वातावरण तैयार करने का अवसर हमें मिलता है। लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत हमारे कानून, विकास संबंधी नीतियों, योजनाओं तथा कार्यक्रमों में महिलाओं की उन्नति हमारा प्रमुख लक्ष्य रहा है।

योजना, जून 2012 राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण नीति, 2001 में महिलाओं के साथ भेदभाव को दूर करने के लिए तीन नीतिगत दृष्टिकोण अपनाए जाने की बात कही गई है। जरूरी है कि विधिक प्रयासों के माध्यम से महिलाओं को

आर्थिक और सामाजिक रूप से और सशक्त बनाया जाना चाहिए। आंकड़े बताते हैं कि भारत में पुरूषों के मुकाबले महिलाओं की स्थिति चिंतनीय है। अतः सच्चाई को ढंकने से काम नहीं चलेगा। प्रतीकवाद और बहानों का सहारा लिए बिना हमें आगे आकर समस्या का समाधान करना होगा। परंतु केवल सरकारी हस्तक्षेप से काम नहीं बनेगा। बेहतर परिणाम तभी प्राप्त होंगे जब दृढ़ प्रतिज्ञ महिलाएं स्वयं अपने-आप को सशक्त बनाने का प्रयास करेंगी और इसमें उन्हें समाज के प्रबुद्ध वर्ग का प्रोत्साहन मिलेगा।

महिला विकास पर भारत सरकार की नीति में स्वतंत्रता के बाद से अनेक परिवर्तन हुए हैं। सबसे उल्लेखनीय परिवर्तन पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान आया जब महिलाओं के कल्याण से हटकर महिलाओं के विकास पर जोर देने की नीति अपनाई गई। आठवीं योजना में पुनः विकास प्रक्रिया में महिलाओं को समान भागीदार बनाने पर जोर दिया गया। आज, समावेशी विकास पर हमारा ध्यान केंद्रित है। ऐसे में महिलाओं के सशक्तीकरण के प्रति हमारी जागरूकता में और वृद्धि हुई है। समाज के निचले स्तर से महिलाओं का सशक्तीकरण होना चाहिए और इसके लिए उनके प्रति मूल्यों और व्यवहार में परिवर्तन के साथ-साथ उन्हें आर्थिक रूप से समर्थ बनाने की आवश्यकता है। सभी समस्याएं असमानता के इर्द-गिर्द घूमती हैं। इसलिए महिलाओं के साथ व्यवहार में समानता और देश के विकास में उनकी पूरी सहभागिता के लिए कदम उठाना आवश्यक है।

बबीता कुमारी, 12 फरवरी, (2013), राष्ट्रीय सहारा सम्पादकीय विश्लेषण के अनुसार, प्राचीन काल में खाप पंचायतों की व्यवस्था भारतीय संस्कृति के उन्नयन और देश समाज की स्वस्थ परंपराओं को बनाये रखने के लिए की गई थी। इनके सहयोग का ही परिणाम है कि ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक समरसता का ताना-बाना मजबूत हुआ है क्योंकि गांव समाज में आज भी गांव की बेटी अपनी बेटी मानी जाती है लेकिन बदलते समय को नजरअंदाज करते हुए अपनी रूढिवादी मान्यताओं पर अडिग रहते हुए खाप पंचायतें आज कभी-कभी ऐसे फरमान जारी करने लगी हैं जिन पर अमल करना नई पीढ़ी के लिए नामुमकिन सा होता है। यही कारण है कि ये पंचायतें कभी-कभी एक निरंकुश शासक की भांति व्यवहार करती दिखती हैं और तब सर्वोच्च न्यायालय को इनके वर्चस्व पर प्रश्नचिह्न खड़ा करना पड़ जाता है। इसलिए खाप पंचायतों को अपने दायरे में रहते हुए अपनी कार्य-शैली पर आत्ममंथन करना होगा। विवाह के संबंध में कुछ बदलावों को स्वीकार करना ही होगा।

लोकतांत्रिक समाज में सभी को अपनी बात कहने का हक है और जीने का अधिकार किसी से नहीं छीना जा सकता है, इस महत्वपूर्ण तथ्य को ध्यान में रखना होगा।

प्रस्तुत शोध अध्ययन में कुछ निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं-

1.महिलाओं की सुरक्षा समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं इसलिए इनके सर्वांगीण विकास के लिए समाज में प्रत्येक स्तर पर कार्य करने चाहिए।

2.महिलाओं की हिंसा के लिए खाप पंचायतों को जिम्मेदार ठहराया गया है। अतः खाप पंचायतों द्वारा किए जा तानाशाही फरमान का उन्मूलन कर महिलाओं को स्वतंत्र रूप से जीने की आजादी दी जाए।

3.महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों में परिवारों की भूमिका का योगदान होता है। अतः समाज में परिवार से लेकर महिलाओं के प्रति सोच में बदलाव की आवश्यकता है।

4.खाप पंचायतों द्वारा महिलाओं पर उनके पहनावे, खान-पान एवं शिक्षा के प्रति संकीर्ण दृष्टिकोण को दूर किया जाना चाहिए।

5.उत्तरी भारत के राज्यों में महिलाओं के विरूद्ध हो रही हिंसा की प्रवृत्ति, प्रभाव, खाप पंचायतों की भूमिका का महत्वपूर्ण योगदान पाया गया है। अतः सामाजिक ढांचे में इस प्रकार के बदलाव की आवश्यकता है जिसमें महिलाओं को उनके अधिकारों का उपयोग करने में कोई बाधा न आये।

6.उत्तर प्रदेश में महिलाओं के विरूद्ध हो रही हिंसा के प्रमुख कारको जैसे- गरीबी, लिंग भेदभाव, खाप पंचायत, सामाजिक न्याय व्यवस्था, राजनीतिज्ञों की भूमिका, परिवारों की भूमिका जैसी समस्याओं पर शोध अध्ययन कर कारकों को ज्ञात कर समस्याओं के निदान की अत्यन्त आवश्यकता है।

7.खाप पंचायतों की भूमिका समाज के लिए सकारात्मक है इस मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता है तथा खाप पंचायतों द्वारा लिए गये निर्णयों की वैज्ञानिक स्तर पर मूल्यांकन कर उन्हें लागू करने की आवश्यकता है।

प्रस्तुत लेख में स्थानीय स्तर पर खाप पंचायतों द्वारा महिलाओं के विरूद्ध हिंसा एवं उनके मौलिक अधिकारों के हनन का मामला उच्च स्तर पर पाया गया है। इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के मौलिक विकास में खाप पंचायतों के एक तरफा निर्णयों का महिलाओं के सर्वांगीण विकास में बाधक के रूप में देखा गया है। अध्ययन में पाया गया है कि महिलाओं के स्वतंत्रता के हनन में खाप पंचायतें निरंकुश रूप से कार्य करती है। इसके लिये निम्नलिखित परिकल्नाएं इस लेख में सत्य पाई गई है :

1.महिलाओं के विरूद्ध हिंसा एवं खाप पंचायतों की प्रासंगिकता में सकारात्मक सम्बन्ध हैं।

2.स्थानीय खाप पंचायत महिला के स्वतन्त्रता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।

3.महिलाओं के विरूद्ध हिंसा में गरीबी, लिंग भेद, परिवार, समाजिक परम्पराओं व आधुनिकता के बीच सकारात्मक सम्बन्ध हैं।

4.महिला हिंसा एवं अशिक्षा के बीच सकारात्मक सम्बन्ध है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1.तुगानिया, ओमपाल सिंह, जाट समाज में प्रमुख आधार बिन्दु, आगरा 2004 पृ. 10।

2.किशोरी लाल फौजदार महाभारतकालीन जाट वंश, जाट समाज, आगरा जुलाई 1995 पृ.-7

3.ठाकुर गंगा सिंह, जाट शब्द का उदय कब और कैसे, जाट वीर स्मारिका, ग्वालियर, 1992, पृ.-6

4.ठाकुर देशराज, जाट इतिहास महाराजा सूरजमल स्मारक शिक्षा संस्थान, दिल्ली, 1934 पृ. 8-9

5.रावत, ज्ञानेन्द्र, सगोत्रीय विवाहपर बवेला क्यों नई दिल्ली, 1 जनवरी पृ.-9

6.ए.वी.एल. गुप्ता, दैनिक जागरण, गोत्र को लेकर भ्रमित है समाज, नई दिल्ली, 22 जून, 2010 पृ.-6

7.श्याम सुमन, जाति पंचायत में कोई मान्यता नहीं, हिन्दुस्तान 14-07-2010, पृ.-9

8.हिन्दुस्तान, 17 जनवरी, 2012

9.राष्ट्रीय सहारा, 12 फरवरी, 2013

10 What are kahp panchyants, Hindustan Times New Delhi May 11, 2010, P.2

11 Hindustan, Meerut 31 March 2010, P-2

12 Amar Ujala 31 March 2010, P & 9

13 http://www/azadindia.org/social-issues/khap-panchayat-in-india.html

14 http://beta.thehindu.com/opinion/lead/article424506.ece?homepage=true

15 http://en.wikipedia.org/wiki/Khap#Functioning_of_Khaps

16 yahoo India News 1st Jan-Jagran

17 Wiki Pedia.arg/Wiki/fatw%c4%%81.

18 Rediff News, Divided UPA to form GoM on Khap Panchayat issue, July 08, 2010.